राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 354/2025

हीरालाल वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर।
4. देवेन्द्र सिंह राठौड़, वरिष्ठ सहायक, परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, परियोजना जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर जून 2020 में हुई थी। तत्पश्चात अपीलार्थी को फरवरी 2024 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.09.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर से मुख्य वन संरक्षक जयपुर में किया गया। अपीलार्थी की पदोन्नति के पश्चात आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन मुख्य वन संरक्षक जयपुर से उपवन संरक्षक वन्य जीव जयपुर में पदस्थापन किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 22.02.2024 को कार्यग्रहण कर लिया। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को स्वयं की इच्छा पर इच्छित स्थान पर पदस्थापित करने के आशय से आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपवन संरक्षक वन्य जीव जयपुर से उपवन संरक्षक भीलवाड़ा में किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर दिनांक 22.02.2024 से कार्यरत है। अपीलार्थी का 10 माह की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण कर दिया गया है। उक्त स्थान पर 10 माह ही हुए है। जबकि राज्य सरकार के परिपत्र/स्थानान्तरण निर्देश दिनांक 20.04.2011 (अनुलग्नक–4) द्वारा राजस्थान राज्य वन सेवा एवं राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा के अधिकारियों एवं कार्मिकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण बाबत् निर्देश

जारी किये गये जिसके नियम सं. 1.1 में निर्देश जारी किये गये कि प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष होगी। अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत् निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा अर्थात् किसी कर्मचारी को एडजस्ट करने के लिए किसी कर्मचारी का दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने भी एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 385/2021 दशरथ सिंह बनाम वन विभाग में दिनांक 13.01.2021 (अनुलग्नक–5) को प्रत्यर्थी सं. 1 के आदेश दिनांक 20.04. 2011 के बिन्दु सं. 1.1 के विपरीत जाकर किये गये स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.08.2023 (अनुलग्नक–6) द्वारा स्थगन आदेश को पुष्ट किया तथा रिट याचिका स्वीकार की। माननीय अधिकरण ने भी अपील सं. 3888/2021 ओमप्रकाश शर्मा बनाम वन विभाग में दिनांक 23.09.2021 (अनुलग्नक–7) द्वारा समान तथ्यों पर स्थगन आदेश जारी किया था। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। माननीय अधिकरण ने अपील सं. 1141/2023 रघुनाथाराम बनाम राजस्व विभाग में दिनांक 28.08.2023 (अनुलग्नक–8) को तथा अपील सं. 165/2023 योगेश उपाध्याय बनाम शिक्षा विभाग में दिनांक 11.01.2023 (अनुलग्नक–9) को अल्पावधि में किये गये स्थानान्तरण आदेशों पर स्थगन आदेश जारी किया है। अपीलार्थी का भी आलौच्य आदेश के द्वारा 4 माह 20 दिवस की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किया गया है। जो समान तथ्यों पर आधारित है। अपीलार्थी की पत्नी के 1 माह पश्चात डिलीवरी होने वाली है। अपीलार्थी का 300 कि.मी दूर स्थानान्तरण किया गया तो अपीलार्थी अपनी पत्नी की डिलवरी के संबंध में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सकता है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर उपवन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य